

## विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		vii
कार्यपालन सारांश		ix
<b>अध्याय 1</b>		
<b>राज्य सरकार के वित्त</b>		
सकल राज्य धरेलू उत्पाद	1.1	1
राजकोषीय लेनदेनों का सारांश	1.1.1	1
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	3
बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े	1.1.3	6
जेण्डर बजटिंग	1.1.4	7
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.2	8
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.2.2	9
पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ	1.2.3	13
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.3	14
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	1.3.1	14
राजस्व व्यय	1.3.2	16
पूँजीगत व्यय	1.3.3	16
प्रतिबद्ध व्यय	1.3.4	16
व्यय की गुणवत्ता	1.3.5	19
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.3.6	20
शासकीय व्यय एवं निवेश	1.4	20
सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम	1.4.1	20
अपूर्ण परियोजनाएं	1.4.2	21
निवेश एवं प्रतिलाभ	1.4.3	21
राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम	1.4.4	22
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को वित्तीय सहायता	1.4.5	23
सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं	1.4.6	24
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	1.4.7	24
परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएं	1.5	25
परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संरचना	1.5.1	25
आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देन	1.5.2	25
ऋण प्रबंधन	1.6	29
ऋण रूपरेखा	1.6.1	29
ऋण संधारणीयता	1.6.2	30
उच्चल डिस्कॉम आश्वासन योजना	1.6.3	31
अनुवर्ती कार्रवाई	1.7	31

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
<b>अध्याय 2</b>		
<b>वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण</b>		
विनियोग लेखे का सारांश	2.1	33
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.2	34
आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है	2.2.1	34
बचतें	2.2.2	34
सतत बचतें	2.2.3	35
योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान	2.2.4	35
अनावश्यक / अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.2.5	35
निधियों का अत्यधिक / अनावश्यक पुनर्विनियोग	2.2.6	36
सारभूत समर्पण	2.2.7	36
वास्तविक बचत से अधिक समर्पण	2.2.8	36
समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें	2.2.9	36
व्यय का गलत वर्गीकरण	2.2.10	37
आकस्मिकता निधि से ₹ 3.49 करोड़ का अनुपयुक्त व्यय	2.2.11	37
व्यय की अत्यधिकता	2.2.12	37
<b>अध्याय 3</b>		
<b>वित्तीय प्रतिवेदन एवं लेखों पर टिप्पणी</b>		
व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण	3.1	39
असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते	3.1.1	39
व्यक्तिगत जमा खातों में निधियों का रखा जाना	3.1.2	40
व्यक्तिगत जमा खातों के संधारण में अनियमितताएं	3.1.3	40
प्रशासक द्वारा व्यक्तिगत जमा खाते के स्थान पर बैंक खातों में निधियां जमा करना	3.1.4	40
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	3.2	41
उपकर का लेखांकन	3.2.1	41
श्रम उपकर की उपयोगिता	3.2.2	41
शासकीय लेखों में अपारदर्शिता	3.3	42
दुर्विनियोग, हानियाँ एवं गबन इत्यादि की सूचना	3.4	43
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की अप्रस्तुति	3.5	44
असत्य उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति	3.6	45
बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक	3.7	46
रोकड़ शेष में भिन्नता	3.8	46
विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान	3.9	46
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन	3.10	47

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
विभाग द्वारा कम अंशदान	3.11	47
बैंक खातों का अनियमित संधारण	3.12	48
बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए निधियों को बैंक खाते में रखना	3.12.1	48
राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखने की स्थिति	3.13	49
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को अंतिम रूप देने में विलंब	3.14	50
लाभांश घोषित न किया जाना	3.15	51
राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.16	51
समता पूँजी/ऋणों/प्रत्याभूतियों का मिलान न करना	3.17	52
सरकारी प्रतिनिधिमंडलों के विदेशी दौरों का व्यय शासकीय लेखों में नहीं दर्शाया जाना	3.18	52
राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन	3.19	53

## परिशिष्ट

विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
राज्य रु	1.1	55
सरकारी लेखों की संरचना	1.2 (भाग—क)	56
वित्त लेखों की रूपरेखा	1.2 (भाग—ख)	56
वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ समग्र राजकोषीय स्थिति का सार	1.3	57
2016–17 हेतु बजट अनुमानों की वास्तविकता से तुलना	1.4	60
श्रेणी 1 एवं 2 के अंतर्गत जेण्डर बजट (₹ एक करोड़ या अधिक) की उपयोगिता में कमी का विवरण	1.5	62
राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	1.6	63
स्वयं के कर राजस्व 2012–17	1.7 (क)	66
करेतर राजस्व 2012–17	1.7 (ख)	66
31 मार्च 2017 को विभिन्न विभागों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं की स्थिति	1.8	67
31 मार्च 2017 को मध्य प्रदेश सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	1.9	68
आरक्षित निधियों का विवरण	1.10	70
पिछले वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है	2.1	72
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक	2.2	73
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक	2.3	76
सतत बचत दर्शाने वाले अनुदान	2.4	78
योजनाएं जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा	2.5	79
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.6	85
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)	2.7	87
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)	2.8	89
2016–17 के दौरान सारभूत समर्पण	2.9	91
वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (₹ 10 लाख या अधिक)	2.10	103
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुईं, परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया	2.11	104

विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
समर्पित नहीं की गई ₹ एक करोड़ या अधिक की बचतों का विवरण	2.12	105
समर्पणों की दोषपूर्ण स्वीकृतियां	2.13	108
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत सहायता अनुदान एवं रखरखाव का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था	2.14	109
राजस्व अनुभाग के अंतर्गत मशीन एवं वृहद् कार्य का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था	2.15	110
व्यय की अत्यधिकता	2.16	111
लघु शीर्ष '800—अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत पुस्तांकन	3.1	113
लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकन	3.2	114
दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के प्रकरण	3.3	115
चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के प्रकरण	3.4	117
2016–17 के दौरान अपलेखित प्रकरण	3.5	118
2016–17 के दौरान हानि के मामलों में सूचित की गई वसूली	3.6	119
लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की मुख्य शीर्षावार स्थिति	3.7	121
बैंक खातों के अनियमित संधारण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.8	122
31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया हैं, में राज्य सरकार का निवेश	3.9	124
लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण	3.10	126